

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 146/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- कमला पत्नी मोहन कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2- केसर पत्नी पृथ्वीराज कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- किशन लाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 4-5 गुलाब, गीता पिता मोहन कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 6- चान्दमल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 7- जगदीश पिता बालु कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 8-9 नन्दराम, प्रकाश पिता मोहन कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 10-11 प्रेम, भंवर लाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 12- मंजु पिता मोहन कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 13- मदन लाल पिता पृथ्वीराज निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 14- मिटु देवी पिता बालु कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 15- रतन लाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 16-18 राजु लाल, रामलाल, शान्तीदेवी पिता बालु कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 17- सुगना पिता मोहन कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- गोपाल पिता मांगु गुजर निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2- रामसुख पिता मांगी लाल कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- कमलेश पिता रामसुख कलाल निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा
- 4- तहसीलदार बनेड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 07/09/2022

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2081, कुल किता 1 रकबा 1.5808 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहे। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम नयाखेड़ा तहसील


38

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2081, कुल किता 1 रकबा 1.5808 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2081, कुल किता 1 रकबा 1.5808 है० भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू०अ०निरीक्षक बैरा को 700/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक बैरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।


निर्णय आज दिनांक 07/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा